UPRN010033192026

न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर देहात।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्याः–1259/2026

1. श्रीमती रेशम उम्र करीब 55 वर्ष पत्नी प्रकाश
2– श्रीमती प्रेमा देवी उम्र करीब 66 वर्ष पत्नीमान सिंह
3– श्रीमती कपूरी देवी उम्र करीब 50 वर्ष पत्नी अर्जुन
4– श्रीमती रेखा देवी उम्र करीब 56 वर्ष पत्नी मलखान निवासीगण ग्राम हारामउ थाना रूरा जिला कानपुर देहात।

प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार।

––अभियोजन पक्ष।

अ0सं0 430/2024
मु0नं0– 20827/2025
धारा –110,324(4),351(3),351(2),
352,115(2),3(5) बी0एन0एस0
थाना– रूरा, जिला कानपुर देहात।

दिनांक– 02.07.2026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण श्रीमती रेशम, श्रीमती प्रेमा देवी, श्रीमती कपूरी देवी व श्रीमती रेखा देवी की ओर से अ0सं0 430/2024 मु0नं0 20827/2025 धारा 110, 324(4), 351(3), 351(2), 352, 115(2), 3(5) बी0एन0एस0 थाना रूरा, जिला कानपुर देहात में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादिनी मुकदमा रन्नो के गांव में रहने वाले मलखान जो कि वादिनी व उसके घर के सदस्यों से पूर्व मे हुई लड़ाई

झगड़े की खुन्नस रखता है और अक्सर शराब के नशे में वादिनी के दरवाजे आकर गाली गलौज करता है। दिनांक 15.12.2024 को दोपहर करीब 2 बजे उक्त राजेश, रेशम, दशरथ, कपूरी, प्रेमा, रेखा जो कि वादिनी के दरवाजे आए और पूर्व में हुई लड़ाई झगड़े की खुन्नस को रखते हुए गाली गलौज करने लगे। शोर सुनकर जब वादिनी अपने दरवाजे आई और उक्त लोगों से गाली गलौज करने को मना करते हुए घर जाने को कहा तो वह लोग आक्राम होगए और लात–घूसों से वादिनी के साथ मारपीट करने लगा। वादिनी की चीख पुकार सुनकर वादिनी की सास कांति व ससुर वीरेन्द्र वहां आ गए और उक्त लोगों से बीच बचाव करने का प्रयास करने लगे तो उक्त लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की जिससे वादिनी के ससुर का सिर फट गया और वह लहुहान हो गए तथा वदिनी के भी शरीर के कई हिस्सों में अंदरूनी चोटें आ गयी। लड़ाई झगड़े को देखते हुए जब आसपास के लोग एकत्रित होने लगे तो उक्त लोग वादिनी को जानमाल की धमकी देते हुए वहां से भाग गए।

अग्रिम जमानत हेतु मुख्य रूप से प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आधार लिया गया कि अभियुक्तागण ने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है, उन्हें रंजिश झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तागण घरेलू महिलाएं हैं तथा उनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त मुकदमें का आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अतः उपरोक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाना न्यायोचित होगा।

विद्वान ए0डी0जी0सी के द्वारा कहा गया कि प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण द्वारा दिनांक 15.12.2024 को अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर घटना कारित की यी है जिसके पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तागण के विरूद्व आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अतः अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

उभयपक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपार्ट के अनुसार अभियुक्तागण पर अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर वादिनी के साथ मारपीट करने तथा वादिनी की सास कांति व ससुर वीरेन्द्र के साथ भी मारपीट कर ससुर के गम्भीर चोटें कारित की गयी हैं तथा वादिनी के भी शरीर के कई हिस्सों में अंदरूनी चोटें आई है तथा वीरेन्द्र की नाक में डाक्टर द्वारा फ्रेक्चर पाया गया है जो गम्भीर प्रकृति का है। मामले में अभियुक्तगण पर धारा 110, 324(4), 351(3), 351(2), 352,

115(2), 3(5) बी0 एन 0 एस 0 के तहत आरोप पत्र पत्रावली पर संलग्न है।

तर्क है कि प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा अवर न्यायालय की पत्रावली में अभियुक्तागण के विरूद्व गैर जमानतीय वारंट जारी है। इस प्रकार विद्वान ए 0 डी0 जी0 सी0 की आख्या के अनुसार अभियुक्तगण के द्वारा मुकदमें के विचारण में सहयोग नहीं किया जा रहा है और अनुपस्थित रहकर कार्यवाही विलम्बित रखने का प्रयास किया जा रहा है।

अभियुक्तगण न्यायालय के द्वाराजारी समन पर न्यायालय उपस्थित नहीं आए, विचारण में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पत्रावली के तथ्यों,परिस्थितियों एवं आघात आख्या को देखते हुए अग्रिम जमानत दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनीगण/अभियुक्तागण श्रीमती रेशम, श्रीमती प्रेमा देवी, श्रीमती कपूरी देवी व श्रीमती रेखा देवी का प्रार्थना पत्र वास्ते अग्रिम जमानत अंतर्गत धारा 482 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 निरस्त किया जाता है।

दिनांक –02.07.2026

(रजत सिन्हा)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कानपुर देहात।
आई 0 डी0 नं0 UP 6042